स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम

अंशु वैश



राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 प्रत्येक स्कूली बच्चे के लिए इस क़ानूनी अधिकार का प्रावधान करता है कि, सभी स्कूलों (चाहे वे सरकार द्वारा संचालित हों, सरकारी सहायता प्राप्त हों अथवा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित हों) में चौदह वर्ष की उम्र तक के प्रत्येक बच्चे को दोपहर को नि:शुल्क, पका हुआ और गर्म भोजन दिया जाए। इसमें आवश्यक पोषक-मानकों को भी निर्धारित किया गया है। इससे पहले, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल-शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में प्रत्येक विद्यालय में एक रसोईघर के प्रावधान को अनिवार्य किया गया था, जहाँ दोपहर का भोजन पकाया जाएगा। दरअसल विद्यालय में दोपहर का भोजन देने के विचार ने लगभग एक शताब्दी पहले ही जन्म ले लिया था। उसके बाद बच्चों की खाद्य-सुरक्षा के लिए एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में एक वैधानिक दर्जा प्राप्त करने से पूर्व यह विविध अवतारों में विकसित होता रहा है।

इतिहास

1925 में मद्रास नगर निगम ने वंचित बच्चों को अपने स्कूलों में दोपहर का भोजन (मिड डे मील या एमडीएम) प्रदान करना शुरू किया। बाद में इसे पूरे तमिलनाडु में लागू कर दिया गया। गुजरात और केरल ने जल्द ही इस कार्यक्रम का अनुसरण किया। 1980 के दशक के मध्य तक इन तीन राज्यों के साथ-साथ केन्द्र शासित प्रदेश पुदुचेरी ने अपने स्वयं के संसाधनों से प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों के लिए दोपहर के भोजन का कार्यक्रम सर्वव्यापी बना दिया था। अपने स्वयं के धन का उपयोग कर इस महत्त्वपूर्ण एमडीएम कार्यक्रम को चलाने वाले राज्यों की संख्या 1990 तक बढ़कर बारह हो गई थी।

भारत सरकार ने एमडीएम की क्षमता को पहचाना क्योंकि इससे कक्षा में भूखे पेट आने वाले बच्चों की समस्या को सम्बोधित करते हुए स्कूलों में नामांकन, ठहराव और उपस्थिति को बढ़ाया जा सकता था। अत: 1995 में राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषण सहायता कार्यक्रम (एनएसपीई) की शुरुआत की गई। यह अवधारणा अपने आप में लक्ष्य नहीं थी, वरन इसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षित करना, उनके स्वास्थ्य को सुधारना, संज्ञानात्मक विकास करने में उनकी मदद करना और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना था। प्रारम्भ में 2408 विकासखण्डों में लागू एनएसपीई को जल्द ही देश के सभी विकासखण्डों में लागू कर दिया गया। 2002 में वैकल्पिक स्कूलों जैसे कि शिक्षा गारण्टी योजना के तहत स्थापित स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में शुरू हुई इस योजना में केन्द्र और राज्य सरकारों ने एनएसपीई के तहत किए जा रहे वित्तीय प्रावधानों में साझेदारी की। वित्त में साझेदारी का सिद्धान्त अभी भी जारी है हालाँकि साझेदारी के पैटर्न में बदलाव आए हैं।

वर्ष 2007 में इस योजना का और अधिक विस्तार किया गया जब शैक्षिक रूप से पिछड़े 3500 विकासखण्डों के उच्च-प्राथमिक विद्यालयों में भी यह योजना पहुँची और इसका नाम बदलकर 'स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम' कर दिया गया। शेष, उच्च-प्राथमिक विद्यालयों को अधिक समय तक इन्तज़ार नहीं करना पड़ा क्योंकि 2008 में एमडीएम योजना का पूरे देश में विस्तार कर दिया गया। साथ ही सर्वशिक्षा अभियान के तहत अनुदान प्राप्त सभी मदरसों और मकतबों में भी इसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया। 2009 में राष्ट्रीय बाल-श्रम परियोजना के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को भी एमडीएम के तहत शामिल कर लिया गया।

पिछले 9 वर्षों में एमडीएम के विस्तार में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। हालाँकि कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करते हुए आगे बढ़ाकर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल किया है। उन्हें स्कूल की अवधि के दौरान सप्ताह के सभी दिनों या कुछ दिनों में किसी और समय पर कोई स्वास्थ्यवर्धक भोज्य-पदार्थ (जैसे अण्डा, केला, दूध, मूँगफली और चना) देना शुरू किया है।

मध्यान्ह भोजन का क्रमिक विकास और वर्तमान आयाम

नवम्बर 2001 में राइट टू फूड केस[1] पर दिए गए एक ऐतिहासिक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया। इस निर्देश के तहत कहा

[1] *People's Union for Civil Liberties v. Union of India and Others, CWP 196/2001, popularly known as the 'Right to Food Case'*

गया कि प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय अपने यहाँ छह महीने के भीतर ऐसी व्यवस्था करें जिसमें प्रत्येक बच्चे को दोपहर में पका हुआ भोजन दिया जा सके। हर रोज़ (कम-से-कम 200 स्कूली दिन) दिए जाने वाले इस भोजन में प्रतिदिन न्यूनतम 300 कैलोरी और 8-12 ग्राम प्रोटीन शामिल करना ज़रूरी था। एमडीएम के लिए गुणवत्तापूर्ण अनाज की आपूर्ति के लिए भारत सरकार को ज़िम्मेदारी लेनी थी। इसके बाद अप्रैल 2004 में इसी मामले पर एक और आदेश आया जिसके अनुसार 2001 के आदेश का सितम्बर 2004 तक पूर्ण अनुपालन आवश्यक था। एक निर्देश यह भी दिया गया था कि बच्चों को पका हुआ भोजन निःशुल्क दिया जाएगा। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि केन्द्र सरकार खाना पकाने की लागत वहन करेगी, स्कूलों में रसोई के लिए शेड का निर्माण कराएगी, रसोइयों और सहायकों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को वरीयता दी जाएगी और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी मध्यान्ह भोजन की आपूर्ति की जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सितम्बर 2004 में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में काफ़ी संशोधन किया गया। अनाज की मुफ़्त आपूर्ति एवं परिवहन सब्सिडी के अलावा भारत सरकार ने खाना पकाने की लागत (प्रति स्कूल दिवस प्रति बच्चा एक रुपया) की ज़िम्मेदारी ली। संशोधित योजना में प्रबन्धन, निगरानी और मूल्यांकन सम्बन्धी लागत देने के साथ-साथ सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान मध्यान्ह भोजन का प्रावधान भी रखा गया।

राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों, पोषण विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद 2009 में एमडीएम कार्यक्रम में एक और व्यापक संशोधन हुआ। भोजन के मानकों में सुधार के अलावा सन्तुलित और भरपेट भोजन को सुनिश्चित करने के लिए खाना पकाने की लागत में वृद्धि की गई। इसके अलावा क़ीमतों में वृद्धि के साथ तालमेल रखने के लिए खाना पकाने की लागत में हर वर्ष संशोधन की व्यवस्था की गई। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की विविध आवश्यकताओं के लिए अधिक लचीलापन और अनुक्रियाशीलता लाने के लिए अन्य संशोधन भी किए गए। उदाहरण के लिए पूरे देश में रसोई शेड के निर्माण की एक समान लागत तय करना अव्यावहारिक था। इसलिए लागत की मंजूरी को, नामांकन से जुड़े प्लिंथ क्षेत्र मानक के आधार पर, विभिन्न राज्यों में प्रचलित निर्माण लागत से जोड़ा गया। कठिन भौगोलिक क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बराबर मूल्य का परिवहन लागत का लाभ भी दिया गया।

पोषण के मानदण्ड[2]

वस्तु	पोषण मानदण्ड प्रति दिन/बच्चा	
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
ऊर्जा (किलो कैलोरी)	450	700
प्रोटीन (ग्राम)	12	20

भोजन के मानदण्ड[3]

वस्तु	मात्रा प्रति दिन/बच्चा (ग्राम में)	
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
अनाज	100	150
दालें	20	30
सब्ज़ियाँ (पत्तेदार भी)	50	75
तेल और वसा	5	7.5
नमक और मसाले	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

[2]Prescribed in Schedule II of the National Food Security Act, 2013

[3]Source: MDM website – mdm.nic.in

उच्च-प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन के विस्तार के बाद से प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक कक्षाओं के लिए अलग-अलग पोषण मानकों और खाना पकाने की लागत अमल में लाई जा रही है। प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक कक्षाओं के लिए खाना पकाने की लागत क्रमश: 4 और 6 रुपये प्रति बच्चा/प्रति स्कूल दिवस तक बढ़ा दी गई है। मध्यान्ह भोजन के तहत स्कूली बच्चों की पोषण सम्बन्धी पात्रता पिछले पेज पर दी गई तालिकाओं में दिखाई गई है।

उपर्युक्त मानदण्ड/मानकों के अनुसार भोजन में अमूमन स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार चावल या रोटी (या इसी का ही कोई स्वरूप) और साथ में सांभर या दाल होती है जिसे सब्ज़ी के साथ या बिना सब्ज़ी के पकाया जाता है। कभी-कभी खिचड़ी या दलिया या सोयाबीन से बनी कोई चीज़ होती है जिसे सब्ज़ियों के साथ या बिना सब्ज़ियों के परोसा जाता है। हालाँकि भोजन के मानदण्ड अच्छे इरादे के साथ तैयार किए गए हैं लेकिन इसके बावजूद ताज़ा सब्ज़ियों, विशेष रूप से हरी और पत्तेदार सब्ज़ियों, को शामिल करना एक चुनौती बनी हुई है।

2015[4] में तैयार किए गए एमडीएम नियम, 2009 की संशोधित योजना को अनिवार्य रूप से क़ानूनी आधार देते हैं। इसकी निगरानी को मज़बूत करने और इसके निर्बाध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नियमों में कुछ और भी प्रावधान किए गए हैं। एमडीएम नियम स्कूल प्रबन्धन समिति (एसएमसी) को यह अधिकार देते हैं कि वह स्कूल में एमडीएम के संचालन का बारीक़ी से निगरानी करे। वे स्कूल के प्रधानाध्यापक को यह अधिकार देते हैं कि वे आवश्यकता पड़ने पर स्कूल में उपलब्ध किसी भी फंड का अस्थायी रूप से एमडीएम के लिए उपयोग कर सकते हैं ताकि धन की कमी की वजह से एमडीएम बन्द न हो। अगर किसी भी कारण से किसी दिन स्कूल में भोजन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति पैदा हो तो बच्चे खाद्य सुरक्षा भत्ता के पात्र हैं, जिसमें अनाज और धन शामिल है। इस तरह बच्चे के भोजन के अधिकार में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और इसके अनुवर्ती एमडीएम नियमों के कारण महत्त्वपूर्ण विस्तार हुआ है।

फरवरी 2017 में भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना[5] के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो एमडीएम कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहता है उसके पास आधार कार्ड का होना आवश्यक है। यह स्कूली बच्चों के साथ-साथ रसोइए और सहायकों पर भी लागू होता है। आधार कार्ड के लिए आवेदन करने की समय सीमा 31 दिसम्बर, 2017 निर्धारित की गई थी।

एमडीएम ने क्या हासिल किया है?

11 लाख से अधिक विद्यालयों में पढ़ रहे लगभग 10 करोड़ बच्चे एमडीएम से लाभान्वित होते हैं, 25 लाख से अधिक रसोइए और सहायक (जिनमें 80 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय की महिलाएँ हैं) भोजन पकाने और परोसने के कार्य में संलग्न हैं। अब तक 8 लाख से अधिक रसोई-सह-भण्डार घर निर्मित किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि खाद्य अनाज का भण्डारण और खाना पकाने का काम स्वच्छ और आरोग्यकारी जगहों में हो।[6] कभी-कभी निहित स्वार्थों के कारण पके हुए भोजन के स्थान पर तैयार खाने की चीज़ें जैसे बिस्कुट आदि देने के प्रयासों का सरकार और नागरिक समाज द्वारा प्रभावी ढंग से विरोध किया गया है। यह स्पष्ट है कि विद्यालय में पका हुआ भोजन प्रदान करने की व्यवस्था कायम रहेगी। एमडीएम आज दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। नियमितता और पैमाने की दृष्टि से एमडीएम को भारत सरकार के अधिक सफल खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक माना जाता है।[7]

स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययनों और कार्य-निष्पादन अंकेक्षण (Performance Audit) से पता चलता है कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन देने से बच्चों के नामांकन, ठहराव और उपस्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ख़ासतौर पर लड़कियों और वंचित समूह के विद्यार्थियों के मामले में। उनके निष्कर्ष बताते हैं कि यह कार्यक्रम कक्षा में आए बच्चों को पोषण देने में सफल रहा है और बेहतर तरीक़े से सीखने में बच्चों की मदद करता है। अध्ययनों ने पोषण पर सकारात्मक प्रभाव के बारे में भी बताया है और इस बात का उल्लेख भी किया कि पहले की तुलना में प्रोटीन और लौह की कमी में भी सुधार आया है। एमडीएम ने सामाजिक समता को बढ़ावा दिया है- विविध सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे खाना खाने के लिए एक साथ बैठते हैं। इस बात के सबूत भी मिलते हैं कि 'उच्च जातियों' के बच्चे स्कूल में खाना खाते हैं (जो शायद एससी/एसटी/ओबीसी

---

[4] *Under Section 39 of the National Food Security Act, 2013*

[5] *Under Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016*

[6] *Source: MDM website: mdm.nic.in*

[7] *Saxena, N. C. (2011), 'Hunger, Under-Nutrition and Food Security in India', CPRC-IIPA Working Paper 44, and Khera, Reetika (2013), 'Mid-Day Meals: Looking Ahead', Economic and Political Weekly, Vol. XLVIII No. 32*

[8] *This paragraph draws on: (i) Section on Mid Day Meal in MHRD's Working Group Report for preparing the 12th Plan.*
(ii)MDM website - mdm.nic.in
(iii) Khera, Reetika (2013), 'Mid-Day Meals: Looking Ahead', Economic and Political Weekly, Vol. XLVIII No. 32

से सम्बन्धित किसी व्यक्ति द्वारा पकाया गया हो), भले ही उनके माता-पिता ने ऐसा करने की मनाही की हो। एमडीएम ने महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। वंचित (अक्सर निराश्रित) महिलाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर पैदा हुए हैं, महिलाओं के स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को भोजन तैयार करने और स्कूल के बच्चों की माताओं के साथ स्कूल स्तर पर देख-रेख करने की ज़िम्मेदारी साझा करने में शामिल किया गया है। एमडीएम के कारण भोजन से पहले और बाद में हाथ धोने जैसी स्वच्छता की अच्छी आदतों को प्रोत्साहन मिला है। इसके अलावा इसने पोषण-शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया है, हालाँकि इसका पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम (एसएचपी), जिसका उद्देश्य स्कूल के भीतर बच्चों के बुनियादी स्वास्थ्य मानकों की जाँच करना है, एमडीएम के साथ रणनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। यह कुछ राज्यों में अच्छी तरह से काम कर रहा है लेकिन इस अवधारणात्मक कड़ी को योजना और क्रियान्वयन के स्तर पर मजबूत करने की आवश्यकता है। रसोइयों और सहायकों की समय-समय पर स्वास्थ्य जाँच पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।[8]

कुछ राज्यों ने एमडीएम को बेहतर बनाने और इसके क्रियान्वयन में सुधार करने के लिए कुछ नए तरीक़े भी अपनाए हैं। उदाहरण के लिए त्रिपुरा में कम लागत में अच्छी डिज़ाइन वाले भोजन-कक्षों का निर्माण किया गया है जहाँ पत्थर की मेज़ें और बेंचें लगाई गई हैं। गुजरात में *'तिथि भोजन'* नामक एक पहल के माध्यम से समुदाय को इसमें शामिल किया गया है। इस पहल में गाँव के स्थानीय समुदाय के सदस्यों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे एमडीएम की पौष्टिकता बढ़ाने में सहयोग दें। इसके लिए वे स्कूल के नियमित भोजन में कुछ जोड़ सकते हैं या अपने किसी महत्त्वपूर्ण दिन या तिथि पर पूरा भोजन प्रदान कर सकते हैं। कुछ अन्य राज्यों ने भी इस मॉडल को अपनाया है। महाराष्ट्र ने लागत और निर्माण का समय, दोनों को बचाने के लिए कई ज़िलों में अग्निरोधी, पूर्व-निर्मित मॉड्यूलर रसोई शेड बनाए हैं। सिक्किम में एमडीएम में ताज़ी और स्थानीय जैविक (ऑर्गेनिक) सब्ज़ियों का उपयोग किया जाता है। पिछले वर्षों में फंड की जो समस्या थी वह अब उन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में नहीं है, जिन्होंने ज़िलों को अग्रिम फंड देने का तरीक़ा अपना लिया है। यह बात बहुत उत्साहजनक है कि कुछ राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश, स्वेच्छा से, आवश्यक फंड से अधिक का योगदान करते हैं।[9]

चुनौतियाँ और भविष्य का मार्ग

हालाँकि एमडीएम को आमतौर पर सफल माना जाता है लेकिन कुछ क्षेत्रों में दिक़्क़तें अभी भी हैं। विद्यालय में भोजन करने के बाद बच्चों के बीमार पड़ने और यहाँ तक कि मरने की भी छिटपुट घटनाएँ मीडिया में आती हैं। हालाँकि इस तरह की घटनाएँ अब कम हो गई हैं लेकिन यह घटनाएँ जिन कारणों से होती हैं वे पूरी तरह से रोके जा सकते हैं। एमडीएम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जितनी भी शिकायतें आती हैं वे आमतौर पर असुरक्षित भोजन, भोजन की ख़राब गुणवत्ता, अनियमितता, धन का दुरुपयोग, और जाति से सम्बन्धित होती हैं। एमडीएम के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।[10] लेकिन सभी स्तरों पर क्रियान्वयन तंत्र के क्षमतावर्धन और विद्यालय स्तर पर पर्याप्त निगरानी और पर्यवेक्षण को सुनिश्चित किए बिना एमडीएम की समस्याओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। मीडिया को भी चाहिए कि वह अपनी शक्ति का उपयोग केवल किसी ग़लती की रिपोर्टिंग करने के बजाय एमडीएम के सकारात्मक परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए करे।

भोजन की पोषण गुणवत्ता एक प्रमुख सरोकार है। स्वामी शिवानन्द मेमोरियल इंस्टीट्यूट (एसएसएमआई) द्वारा उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद ज़िले में लागू एक परियोजना में पाया गया कि एसएसएमआई के हस्तक्षेप से पहले एमडीएम के द्वारा ऊपर दी गई तालिका के अनुसार पोषण प्रदान किया जाता था।[11]

स्तर	ऊर्जा (किलो कैलोरी)		प्रोटीन (ग्राम)	
	मानक	फैज़ाबाद	मानक	फैज़ाबाद
प्राथमिक	450	353	12	6.6
उच्च-प्राथमिक	700	507	20	9.6

[9]This paragraph is based on 'Mid Day Meal Scheme - Best Practices followed by States/UTs (2015-16)', Department of School Education and Literacy, MHRD, Government of India

[10]MDM website: mdm.nic.in[6]Source: MDM website: mdm.nic.in

[11]Swami Sivananda Memorial Institute (2014): 'Mid-Day Meal Scheme: Comprehensive Review and Interventions', Report on the SSMI-MHRD Faizabad Pilot Project

भोजन की बेहतर गुणवत्ता के लिए एसएसएमआई ने कुछ सरल क़दम उठाए जैसे कि खाना पकाने के मानक तरीक़ों की रूपरेखा बनाना, दिए जाने वाले हिस्से की मात्रा का निर्धारण और मानकीकरण करना, रसोइयों का प्रशिक्षण और उनकी निगरानी करना आदि। इनके परिणामस्वरूप भोजन के पोषण सम्बन्धी मामले में काफ़ी सुधार हुआ (औसतन 455 किलो कैलोरी और 11.7 ग्राम प्रोटीन)। इस तरह के उपाय और एमडीएम के दिशा-निर्देशों में सूचीबद्ध अन्य उपाय न केवल एमडीएम में पोषण की मात्रा को बढ़ाने में सहायक होंगे बल्कि बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की विविधता, स्वाद और पसन्दगी में भी वृद्धि होगी।

एमडीएम के तहत शामिल किए गए विद्यालयों और प्रदान किए गए रसोई-सह-भण्डार घर की संख्या के बीच अभी भी एक बड़ा अन्तर (3 लाख से अधिक) है।[12] हालाँकि इनमें से कई विद्यालयों के लिए केन्द्रीकृत रसोई द्वारा भोजन तैयार करवाया जाएगा। लेकिन चिन्ताजनक बात यह है कि कुल स्वीकृत 10 लाख से अधिक रसोई-सह-भण्डार घरों में से, 2016 तक, 11 प्रतिशत का तो निर्माण भी शुरू नहीं हुआ था।[13] एमडीएम के लिए उचित आधारभूत संरचना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा प्रभाव स्वच्छ और स्वास्थ्यकारी भण्डारण और भोजन पकाने पर पड़ता है। यह बच्चों को आग, धुएँ, गर्म बर्तनों और इधर-उधर गिरे हुए गर्म भोजन से भी बचाता है।

ईंधन की लागत और दक्षता को अभी तक पर्याप्त रूप से सम्बोधित नहीं किया जा सका है। वर्तमान में एमडीएम के अन्तर्गत अधिकांशतः भोजन लकड़ी पर पकाया जाता है जिससे आन्तरिक प्रदूषण होता है और जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर चल रहे सरकारी कार्यक्रम में इसका उपयोग अनुशंसनीय नहीं है। सैद्धान्तिक रूप से तो एलपीजी (आज की तारीख़ में उपलब्ध सबसे कम कीमत का और उपयोगकर्ता के लिए सबसे अनुकूल विकल्प) के उपयोग को सरकार ने प्रोत्साहित किया है लेकिन लकड़ी के उपयोग को एलपीजी से बदलने के लिए विशिष्ट संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। फिर भी कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के ज़्यादातर या सभी स्कूलों में एलपीजी का प्रयोग शुरू कर दिया गया है। शेष राज्यों को भी चरणबद्ध तरीक़े से इस दिशा में बढ़ना चाहिए। एमडीएम बजट में इसके लिए एक निश्चित प्रावधान पर विचार करने की आवश्यकता है।

एमडीएम में शिक्षकों की भागीदारी अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। एमडीएम दिशा-निर्देशों के अनुसार,"भोजन परोसने से पहले यह ज़रूरी है कि एक शिक्षक उसे चखें। एक रजिस्टर में चखने के रिकॉर्ड को दर्ज करते रहना है। शिक्षकों के साथ एसएमसी के सदस्यों को भी, भोजन परोसने से पहले, बारी-बारी से उसे चखना चाहिए।"एमडीएम के तहत शिक्षकों को सौंपी गई यह एकमात्र ज़िम्मेदारी है। फिर भी व्यापक रूप से यह माना जाता है कि शिक्षकों के ऊपर एमडीएम से सम्बन्धित कई कार्य लाद दिए जाते हैं जो उनके शिक्षण-अधिगम के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। वैसे यह धारणा शायद आधारहीन नहीं है। कई प्राथमिक विद्यालयों में दो शिक्षकों के अलावा और कोई कर्मचारी नहीं होता, इसलिए यह सोचना सही नहीं है कि ऐसे स्कूलों में एमडीएम उनसे सीमित काम लेगा। मॉडल एजुकेशन कोड[14] में इस बारे में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान किया गया है कि स्कूल में भोजन परोसने और चखने के सम्बन्ध में, शिक्षकों से कितने कार्य की अपेक्षा यथोचित होगी ताकि वे इस अवसर का प्रयोग शिक्षण-अधिगम के लिए कर सकें। यदि वे यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि भोजन के समय में एकता और समानता की भावना बनी रहे तो वे प्रभावी रूप से सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा दे सकते हैं।

कुछ राज्यों ने सुझाव दिया है कि अगर अधिक-से-अधिक स्कूलों के लिए केन्द्रीकृत रसोई द्वारा भोजन की व्यवस्था की जाए तो शिक्षकों को भारमुक्त किया जा सकता है। वैसे तो शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एक स्थान पर खाना पकाने और पके हुए भोजन को स्कूलों में ले जाने के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इस प्रणाली को लागू करना हो तो सावधानी बरतनी होगी। सबसे बड़ी समस्या जो साफ़ नज़र आती है वह है सड़क की गुणवत्ता, जिसका ध्यान एमडीएम नियमों में रखा गया है।[15] दूसरा कारण यह है कि स्कूल में भोजन प्रदान करने के अलावा एमडीएम स्थानीय समुदायों के जुड़ाव और भागीदारी को भी प्रोत्साहित करना चाहता है, ख़ासतौर पर स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के माता-पिता की भागीदारी। एसएमसी से अपेक्षा की जाती है कि वे स्कूल स्तर पर एमडीएम की निगरानी और पर्यवेक्षण करें लेकिन केन्द्रीकृत रसोई के विचार के साथ यह बात सम्भव नहीं है। एमडीएम का पर्यवेक्षण करने के लिए एसएमसी और स्थानीय समुदायों की क्षमतावर्धन करनी होगी जो एसएमसी के लिए स्कूल प्रबन्धन के अन्य पहलुओं में शामिल होने के लिए एक महत्त्वपूर्ण क़दम

[12]Source: MDM website: mdm.nic.in

[13]MHRD presentation to the Empowered Committee on MDM Scheme, September, 2016

[14]T National University of Educational Planning and Administration, New Delhi (2015), 'Model Education Code: Practices and Processes of School Management'

[15]MDM (Amendment) Rules, 2017

है। कर्तृत्व या एजेंसी की भावना के साथ लैस एसएमसी, स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

एमडीएम दिशा-निर्देशों में कई वर्षों तक स्वयं सहायता समूह, ग़ैर-सरकारी और नागरिक समाज संगठनों को स्कूल का भोजन बनाने की अनुमति दी गई है। संशोधित दिशा-निर्देश 2017 में जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार सरकार के साथ हस्ताक्षरित अनुबन्ध करना आवश्यक है। संगठन के चयन के मानकों के साथ-साथ अनुबन्धित पक्षों की भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ढाँचे के बावजूद ज़मीनी स्तर पर यह व्यवस्था जिस प्रकार से आकार लेती है उसके बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है। अतीत में पोषण कार्यक्रमों में इसलिए समस्याएँ पैदा हुईं क्योंकि महिला मण्डल/एसएचजी पर निहित स्वार्थों वाले प्रभावशाली लोगों का अधिकार था जिसके परिणामस्वरूप बच्चों को अस्वस्थकारी, दूषित और ग़ैर-पौष्टिक भोजन दिए जाने के कई उदाहरण सामने आए। पके हुए भोजन की आवश्यकता ने कुछ हद तक इस तरह की अनियमितताओं की सम्भावना को सम्बोधित किया है। लेकिन एसएमसी, स्थानीय निकाय और मीडिया को स्कूली बच्चों को ऐसे बेईमान तत्वों से बचाने के लिए लगातार निगरानी करनी होगी।

निष्कर्ष

भोजन के अधिकार अभियान और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने एमडीएम के मौजूदा महत्त्व और विस्तार को सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न एजेंसियों की सतर्कता और सतत निगरानी तथा विशेष रूप से भोजन का अधिकार केस में सुप्रीम कोर्ट के आयुक्तों ने एमडीएम और इसके क्रियान्वयन में लगातार सुधार किए हैं। इनकी मौजूदगी से मीडिया ने भी इस पर भरपूर ध्यान दिया है। बच्चों को पका भोजन देने से इस बात की सम्भावना है कि बच्चों का पोषण बढ़े, समता के साथ प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक हो और अधिगम की गुणवत्ता बेहतर हो। इसलिए अब शिक्षाविद एमडीएम के प्रभाव पर नज़र रखने लगे हैं और इसे एक सफल प्रयास माना जाता है। पिछले दस वर्षों में एमडीएम के लिए भारत सरकार का बजट 6500 करोड़ रुपये से बढ़कर 10000 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने भी अपना योगदान दिया है।

भविष्य में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जब हम पीछे मुड़कर देखें तो महसूस कर सकें कि हमने अपने स्कूली बच्चों में अच्छा निवेश किया है। अगर हम एमडीएम की सम्पूर्ण सम्भावनाओं को प्राथमिक स्तर के हर बच्चे तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमें अपनी सफलताओं के आधार पर आगे का नव-निर्माण करना होगा।

अंशु वैश भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1975 बैच की सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। वे 2012 में शिक्षा मंत्रालय से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुईं। वर्तमान में वे कुछ ग़ैर-सरकारी संगठनों की गवर्निंग बॉडी की सदस्य हैं जैसे *प्रदान*, *कथा*, *रेनबो फाउण्डेशन ऑफ इंडिया*, *सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़* और *आगा ख़ान फ़ाउंडेशन*, इंडिया और साथ में एम्स, भोपाल के संस्थान निकाय और भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) के निदेशक मण्डल से भी सम्बद्ध हैं। उनसे *anshuvaish52@gmail.com* पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अनुवाद : नलिनी रावल **पुनरीक्षण :** स्वाति भदौरिया